

इकाई कार्यालय, वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक, रीको लिमिटेड, जयपुर(ग्रामीण),
22 गोदाम, औद्योगिक क्षेत्र जयपुर।

क्रमांक: यू-(12)-3()/2017-18/576

दिनांक: 24 मई, 2017

—:सूचना:—

रीको इकाई कार्यालय जयपुर(ग्रामीण), 22 गोदाम, जयपुर ग्रामीण के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों के सभी वैध आवंटियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2017-18 के लिये सर्विस चार्ज की दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं:-

क्र.स	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	औद्योगिक भूखण्ड हेतु वर्ष 2017-18 की सर्विस चार्ज की दर
1.	बिन्दायका, बगरू(पुराना), बगरू(विस्तार), बगरू(विस्तार) द्वितीय चरण, कांट कालवाड(विस्तार), कूकस, कूकस(विस्तार), करतारपुरा, मानपुर, माचेडी, 22 गोदाम, सुदर्शनपुरा एवं सुदर्शनपुरा(विस्तार)	रुपयें 8.05/- प्रति वर्गमीटर
2.	शाहपुरा	रुपयें 5.70/- प्रति वर्गमीटर
3.	दूदू	रुपयें 3.30/- प्रति वर्गमीटर
4.	फुलेरा	रुपयें 2.35/- प्रति वर्गमीटर

नोट:-

1. औद्योगिक भूखण्ड हेतु इस वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम रूपये 1000/- है।
2. व्यावसायिक एवं आवासीय भूखण्ड हेतु औद्योगिक दर की दो गुणा दर लागू होगी, व्यावसायिक भूखण्ड के लिये न्यूनतम रूपये 500/- रहेगी।
3. सर्विस चार्ज की राशि की अन्तिम गणना के लिये निकटतम रूपयें 10/- तक राशि राउण्ड ऑफ की जावेगी।
4. उपरोक्त राशि जमा कराने हेतु देय तिथि 31.07.2017 है। अतः सभी वैध आवंटि देय तिथि तक बकाया राशि रीको इकाई कार्यालय, 22 गोदाम, जयपुर में जमा करा देवें। दिनांक 31.07.2017 तक उक्त राशि जमा नही होने पर बकाया राशि पर 01.04.2017 से नियमानुसार ब्याज जमा कराना होगा। बकाया राशि की जानकारी हेतु किसी भी कार्यदिवस में इस कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
5. किसी भी प्रकार की राशि निगम के खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से ही जमा करानी होगी एवं जमा कराई गई राशि की सूचना (यू.टी.आर. आदि द्वारा) इस कार्यालय को प्रेषित करनी होगी, बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है:-

Name	RIICO LTD
Bank Name	Bank of Baroda, Bais Godam, Jaipur
Account No.	25220200000010
IFSC Code	BARBOINDBAI (5 th Character is zero)
Email ID	jaipurrural@riico.co.in


P.T.O.

इसके अतिरिक्त सभी वैद्य आवंटियों को सर्विस टैक्स की प्रयोज्यता संबन्धी अंडरटेकिंग का प्रारूप इस कार्यालय से प्राप्त कर रू. 50/- के गैर न्यायिक मुद्रांक पर प्रस्तुत किया जाना वांछित है। 500 वर्गमीटर अथवा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड पर राज्य सरकार की नीति एवं निगम नियमानुसार भूखण्ड पर "रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर" (निर्धारित मानक एवं डिजाईन के अनुसार) निर्मित कर कार्यालय में सूचित किया जाना वांछित है। कृपया सूचित रहें कि भूखण्ड पर "रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर" का निर्माण नहीं किये जाने की स्थिति में भूखण्ड हस्तांतरण, उप-विभाजन, भू-उपयोग परिवर्तन, अनापत्ति पत्र जारी करने हेतु आवेदन आदि पर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है एवं नियमानुसार शास्ती भी देय है।


वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक

प्रतिलिपि:-

- 1.A वित्तिय सलाहकार, रीको लिमिटेड, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर को सूचनार्थ।
- 1.B महाप्रबन्धक (पी.आर.), रीको लिमिटेड, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि कार्यालय आदेश रीको की वेबसाइट पर डालने का श्रम करें।
2. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, रीको लिमिटेड, जयपुर(ग्रामीण), 22 गोदाम, जयपुर को पालनार्थ।
3. अध्यक्ष/महासचिव, इण्डस्ट्रीयल एसोसियेशन, औद्योगिक क्षेत्र..... को भेजकर निवेदन है कि सभी उद्यमियों को यथायोग्य सूचना पहुँचाने का श्रम करें तथा बकाया राशि भी जमा करवाने के लिए प्रेरित भी करने का श्रम करें।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, रीको लिमिटेड, 22 गोदाम, जयपुर(ग्रामीण) कृपया रीको की वेबसाईड एवं एसपीपीपी पर अपलोड करवाने की कार्यवाही करें।
5. नोटिस बोर्ड इकाई कार्यालय, जयपुर(ग्रामीण)


वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक